[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.11/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली,तारीख **30 जून**, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 163 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 को सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क्य मालों को, जो उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, को उत्पाद-शुल्क अधिनियम की उक्त अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट उन पर लगने वाले उतने उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है :

परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 25 अगस्त, 2019 के पश्चात् उक्त सारणी के क्रम संख्या 7 के सामने विनिर्दिष्ट माल को लागू नहीं होगी ।

सारणी

क्रम सं.	**पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का वर्णन**	**दर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	24	सभी माल	कुछ नहीं
2.	2710	मोटर स्प्रिट, जो सामान्यतः पेट्रोल के नाम से ज्ञात है,- (i) बिना किसी ब्रांड नाम के विक्रय के लिए आशयित; (ii) (i) में विनिर्दिष्ट से भिन्न	 8.48 रु. प्रतिलीटर 9.66 रु.

			प्रतिलीटर
3.	2710 19 30	उच्च गति डीजल (एचएसडी) ,- (त) बिना किसी ब्रांड नाम के विक्रय के लिए आशयित; (त्त) (i) में विनिर्दिष्ट से भिन्न	 10.33 रु. प्रतिलीटर 12.69 रु. प्रतिलीटर
4.	2710	5 प्रतिशत इथानेल से सम्मिश्रित पेट्रोल अर्थात् ऐसा सम्मिश्रण,- (i) जिसमें वाल्यूम के आधार पर 95 प्रतिशत मोटर स्प्रिट (जो सामान्यतः पेट्रोल के नाम से ज्ञात है) सम्मिलित है, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क का संदाय किया गया है और 5 प्रतिशत इथानेल सम्मिलित है, जिस पर समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर का संदाय किया गया है; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 2796 के अनुरूप है । **स्पष्टीकरण-** इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए,- (क) "समुचित उत्पाद-शुल्क" से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत होगा; (ख) "समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।	कुछ नहीं

5.	2710	10 प्रतिशत इथानेल से सम्मिश्रित पेट्रोल अर्थात् ऐसा सम्मिश्रण,- (i) जिसमें वाल्यूम के आधार पर 90 प्रतिशत मोटर स्प्रिट (जो सामान्यतः पेट्रोल के नाम से ज्ञात है) सम्मिलित है, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क का संदाय किया गया है और 10 प्रतिशत इथानेल सम्मिलित है, जिस पर समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर का संदाय किया गया है; और (ii) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 2796 के अनुरूप है । **स्पष्टीकरण-** इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए,- (क) "समुचित उत्पाद-शुल्क" से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत होगा; (ख) "समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।	कुछ नहीं
6.	2710	वनस्पति तेलों से अभिप्राप्त वसीय अम्लों की दीर्घ श्रृंखला के एलकिल एस्ट्रों के साथ सम्मिश्रित उच्च गति डीजल तेल, जो सामान्य रूप से जैविक डीजल के रूप में ज्ञात है, 20 प्रतिशत तक के वाल्यूम के आधार पर एक सम्मिश्रण, जिसमें वाल्यूम के आधार पर 80 प्रतिशत या अधिक उच्च गति डीजल तेल सम्मिलित है, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क का संदाय किया गया है और 20 प्रतिशत जैविक डीजल सम्मिलित है जिस पर, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर का संदाय किया गया है ।	कुछ नहीं

		स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए,- (क) "समुचित उत्पाद-शुल्क" से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय, वित्त (संख्यांक) अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत होगा; (ख"समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।	
7.	2710 19 20	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) वायुपत्तनों से प्रचालकों या स्थोरा प्रचालकों द्वारा लिया गया विमानन टर्बाइन ईंधन	2%
8.	2711 11 00	द्रवीकृत प्राकृतिक गैस	कुछ नहीं
9.	2711 21 00	प्राकृतिक गैस (संपीडित प्राकृतिक गैस से भिन्न)	कुछ नहीं
10.	2710 12 11, 2710 12 12, 2710 12 13, 2710 12 19, 2710 12 20, 2710 12 90	क्रम सं. 2, 4 और 5 के माल से भिन्न सभी माल	कुछ नहीं

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार